

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 13(24)त.शि./78 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 21 नवम्बर, 2011

अध्यक्ष,
प्राविधिक शिक्षा मण्डल,
राजस्थान, जोधपुर।

विषय :- प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के कार्य के लिये पारिश्रमिक भुगतान की दरों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक : एफ 5(12-1)प्राशिमं/सामान्य/2010-11/7349 दिनांक 8.11.2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के कार्य के लिये पारिश्रमिक भुगतान की दरों में निम्नानुसार संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क. सं.	मद का नाम	आई.टी.आई. की दरें	प्रा.शि.मण्डल की वर्तमान दरें	प्रस्तावित दर	स्वीकृत संशोधित पारिश्रमिक दरें
1	पेपर सेटर	400/- प्रति पेपर	300/- प्रति पेपर एवं हिन्दी अनुवाद के 75 रुपये अतिरिक्त	400/- प्रति पेपर एवं हिन्दी अनुवाद के 100. रुपये अतिरिक्त	प्रस्तावित दरों पर
2	थ्योरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु परीक्षक	10/- प्रति उत्तर पुस्तिका	4.50/- प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम 150/- प्रति विषय)	15/- प्रति उत्तर पुस्तिका (न्यूनतम 600/- प्रति विषय)	आई.टी.आई. की दर रु 10/- प्रति उत्तर पुस्तिका पर
3	परीक्षा केन्द्र अधीक्षक	100/- प्रति पारी	45/- प्रति परीक्षा काल	150/- प्रति परीक्षा काल अधिकतम 200/-प्रतिदिन	आई.टी.आई. की दर रु 100/- प्रति पारी पर
4	अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक	75/- प्रति पारी	30/- प्रति परीक्षा काल	100/- प्रति परीक्षा काल अधिकतम 175/-प्रतिदिन	75/- प्रति पारी
5	परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त वीक्षक	70/- प्रति पारी	रु 22.50 प्रति परीक्षा काल प्रति वीक्षक	रु 70/- प्रति परीक्षा काल प्रति वीक्षक	70/- प्रति परीक्षा काल प्रति वीक्षक
6	परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी	45/- प्रति पारी	रु 18/- प्रति लिपिक प्रति परीक्षा काल	रु 40/- प्रति लिपिक प्रति परीक्षा काल	40/- प्रति लिपिक प्रति पारी

7	परीक्षा कार्य में नियुक्त च०श्रे०क०	30/- प्रति पारी	रू 12/- प्रति परीक्षा कला (4 घण्टे के लिए)	रू 30/- प्रति परीक्षा काल (4 घण्टे के लिए)	30/- प्रति पारी प्रति च.श्रे.क. (4 घण्टे के लिए)
8	प्रायोगिक एवं वायवा परीक्षा	25/- प्रति छात्र	रू 4.5 प्रति छात्र (न्यूनतम 150/- प्रति दिन प्रत्येक परीक्षक को)	रू 15 प्रति छात्र (न्यूनतम 600/- प्रति दिन प्रत्येक परीक्षक को)	15/- प्रति छात्र (न्यूनतम 300/-)

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के आई.डी. क्रमांक 151101154 दिनांक 18.11.2011 के द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर जारी की जाती है।

भवदीय,

(आर.के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, त.शि.

प्रतिलिपि :- उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विशेषाधिकारी, त.शि.